Toppersnotes®
Unleash the topper in you

3rd – ग्रेड

अध्यापक

लेवल – प्रथम

कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

भाग – 1

राजस्थान का सामान्य ज्ञान

SIERRA INNOVATIONS

3rd GRADE LEVEL - 1

क्र.सं.	अध्याय	पृष्ट सं.
	राजस्थान का भूगोल	
1.	राजस्थान की उत्पत्ति, स्थिति, विस्तार एवं क्षेत्रफल	1
2.	राजस्थान का भौतिक प्रदेश एवं विभाग	7
3.	राजस्थान का अपवाह तंत्र	19
4.	राजस्थान की झीलें	27
5.	राजस्थान की जलवायु	31
6.	राजस्थान में मृदा संसाधन	38
7.	राजस्थान में खनिज सम्पदा	42
8.	राजस्थान में ऊर्जा स्त्रोत	51
9.	राजस्थान में पशुधन	60
10.	राजस्थान की जनसंख्या	65
11.	राजस्थान में उद्योग	75
12.	राजस्थान में पर्यटन विकास	84
	राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति	
1.	प्राचीन राजस्थान का इतिहास	87
	• परिचय	87
	• प्राचीन सभ्याताएँ	89
	• महाजनपद काल	94
	• मौर्यकाल	95
	• मौर्योत्तर काल	95
	• गुप्तकाल	96
	• गुप्तोत्तर काल	96
2.	मध्यकाल राजस्थान का इतिहास	97

- प्रमुख राजवंश एवं उनकी विशेषताएँ
- राजस्थान की रियासतें और अंग्रेजों के साथ संधियाँ

3. आधुनिक राजस्थान का इतिहास 138
   - 1857 की क्रांति 138
   - प्रमुख किसान आन्दोलन 141
   - प्रमुख जनजातीय आन्दोलन 144
   - प्रमुख प्रजामण्डल आन्दोलन 145
   - राजस्थान का एकीकरण 150
4. राजस्थान कला एवं संस्कृति 154
   - राजस्थान के त्यौहार 154
   - राजस्थान के लोक देवता 160
   - राजस्थान की लोक देवियाँ 165
   - राजस्थान के लोक सन्त एवं सम्प्रदाय 169
   - राजस्थान के लोकगीत 175
   - राजस्थान की लोकगायन की शैलियाँ 176
   - राजस्थान के संगीत 177
   - राजस्थान के लोक नृत्य 178
   - राजस्थान के लोकनाट्य 182
   - राजस्थान की जनजातियाँ 184
   - राजस्थान की चित्रकला 189
   - राजस्थान की हस्तकलाएँ 193
   - राजस्थान का साहित्य 197
   - राजस्थान की प्रमुख बोलियाँ 203
5. राजस्थान की स्थापत्य कला 205
   - किले एवं स्मारक 205
   - राजस्थान के धार्मिक स्थल 215
   - राजस्थान की सामाजिक प्रथाएँ एवं रीति–रिवाज 219
   - राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व 221

- वेश–भूषा व आभूषण 226
- राजस्थान के प्रमुख लोक वाद्य यंत्र 229

राजनीतिक विज्ञान

1.	भारतीय संविधान का निर्माण एवं विशेषताएँ	235
2.	मूल अधिकार एवं मूल कर्त्तव्य	241
3.	बाल अकधिकार एवं संरक्षण	245
4.	सामाजिक न्याय	247
5.	लोकतंत्र में निर्वाचन व मतदाता जागरूकता	248
6.	राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति	250
7.	प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद	265
8.	संसद	266
9.	उच्चतम न्यायालय	278
10.	राज्य मंत्री परिषद	287
11.	स्थानीय स्वशासन	291
12.	संविधान संशोधन	297
13.	विविध	300

राजस्थान का भूगोल

राजस्थान की उत्पत्ति

अंगारालैण्ड
पैंजिया का उत्तरी भाग जिससे उत्तरी अमेरिका, यूरोप और उत्तरी एशिया का निर्माण हुआ है ।

गोंडवानालैण्ड
पैंजिया का दक्षिणी भाग जिससे दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिणी एशिया, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका का निर्माण हुआ है ।

टेथिस सागर
यह एक भूसन्नति है जो अंगारालैण्ड व गोंडवानालैण्ड के मध्य स्थित है ।

Note– राजस्थान का निर्माण

GT

G – गोंडवाना लैण्ड
अरावली
हाडौती

T – टेथिस सागर
मरूस्थल
मैदान

भौगोलिक प्रदेश

अरावली व हाडौती भारत के प्रायद्वीप पठार का हिस्सा है जबकि मरूस्थल व मैदानी भाग भारत के उत्तरी विशाल मैदान का हिस्सा है ।

A- राजस्थान : स्थिति, विस्तार एवं आकार

भारत

उत्तर पश्चिम	

	उत्तर पूर्व

एशिया

दक्षिण पश्चिम	

- ग्लोबीय स्थिति में राजस्थान उत्तर पूर्वी गोलार्द्ध में स्थित है ।

B- विस्तार

- अक्षांश – $23^0 3'$ से $30^0 12'$ उत्तरी अक्षांश
- देशांतर – $69^0 30'$ से $78^0 17'$ पूर्वी देशांतर
- क्षेत्रफल – 3,42,239.74 वर्ग किमी.
  (1,32,140 वर्ग मील)

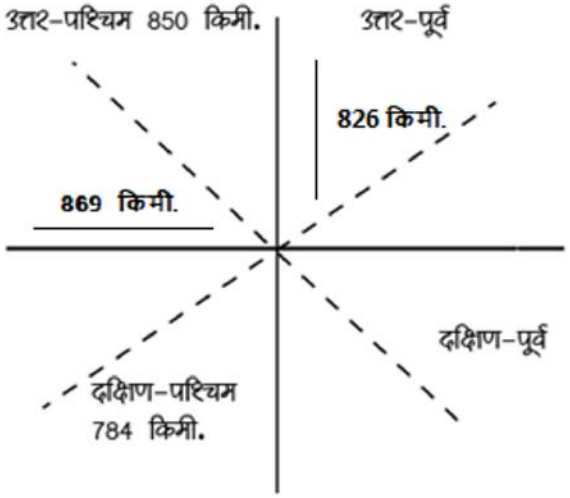

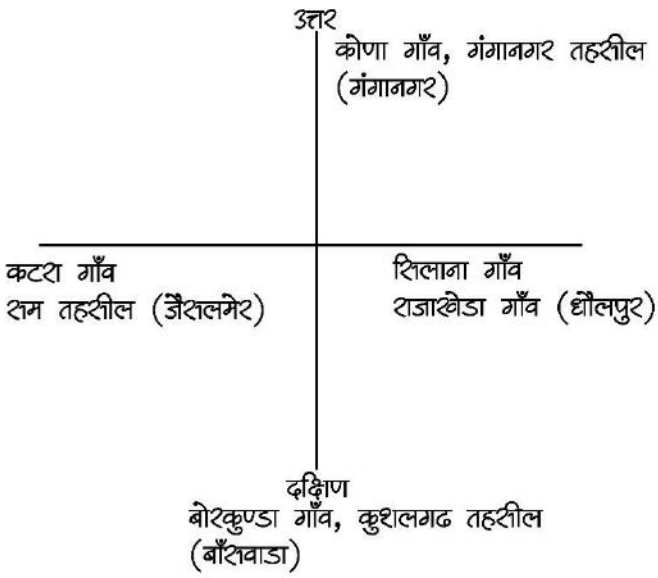

C- आकार

Rhombus – T. H. हैडले ने कहा
विषम चतुष्कोणीय (रोहम्बस)
पतंगाकार

राजस्थान के क्षेत्रफल संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य

1. राजस्थान का क्षेत्रफल 342239.74 वर्ग किमी है ।
2. यह भारत के क्षेत्रफल का 10.41 प्रतिशत है ।
3. विश्व क्षेत्रफल का राजस्थान 0.25 प्रतिशत धारण करता है ।
4. राजस्थान भारत का सबसे बडा राज्य है ।
5. राजस्थान का सबसे बडा जिला जैसलमेर है । 38401 वर्ग किमी इसका क्षेत्रफल है ।
6. जैसलमेर सम्पूर्ण राजस्थान का 11.22 प्रतिशत क्षेत्रफल धारण करता है ।
7. धौलपुर राजस्थान का सबसे छोटा जिला है जिसका क्षेत्रफल 3034 वर्ग किमी है ।
8. धौलपुर सम्पूर्ण राज्य का .89 प्रतिशत क्षेत्रफल धारण करता है ।
9. जैसलमेर धौलपुर से 12.67 गुणा बडा है ।
10. कर्क रेखा राज्य के डुंगरपुर की सीमा को छूते हुए तथा बांसवाडा के मध्य से होकर गुजरती है ।
11. कर्क रेखा की लम्बाई राज्य में 26 किमी है ।
12. कर्क रेखा पर सबसे लम्बा दिन 13 घंटे 27 मिनट का होता है जो 21 जून को होता है । यह कर्क संक्रांति कहलाता है ।
13. राज्य में पूर्व से पश्चिम समय अंतराल 35 मिनट 8 सैकेण्ड का है ।
14. राज्य का मध्य गांव गगराना नागौर है ।

प्रमुख देश		राजस्थान का क्षेत्रफल (बडा)
जर्मनी	–	बराबर
जापान	–	बराबर
ब्रिटेन	–	दोगुना
श्रीलंका	–	5 गुना
इजराइल	–	17 गुना

राजस्थान के क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बडे एवं सबसे छोटे जिले

बडे व छोटे जिले

जैसलमेर	(38401 km^2)	धौलपुर	(3034 km^2)
बीकानेर	(30247 km^2)	दौसा	(3432 km^2)
बाडमेर	(28387 km^2)	डूँगरपुर	(3770 km^2)
जोधपुर	(22850 km^2)	राजसमन्द	(3860 km^2)
नागौर	(17716 km^2)	प्रतापगढ	(4449 km^2)

(c) राजस्थान की सीमाः-

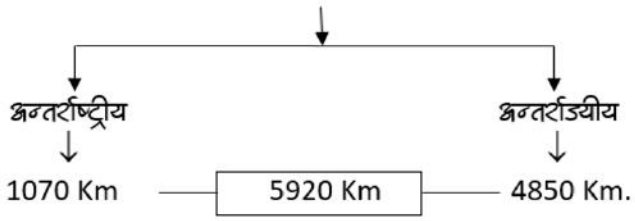

अन्तर्राज्यीय सीमा एवं उन पर स्थित जिले

सीमा– 4850 किमी.

पडोसी राज्य	उनकी सीमा पर राजस्थान के जिले
पंजाब (89 किमी.)	हनुमानगढ, गंगानगर
हरियाणा (1262 किमी.)	जयपुर, भरतपुर, हनुमानगढ, सीकर, चुरू, झुंझुनु, अलवर
उत्तरप्रदेश (877 किमी.)	भरतपुर, धौलपुर
मध्यप्रदेश (1600 किमी.)	धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, भीलवाडा, कोटा, बांसवाडा, बांरा, झालवाड, प्रतापगढ, चित्तोडगढ
गुजरात (1022 किमी.)	बाडमेर, जालौर, सिरोही, उदयपुर, डुंगरपुर, बांसवाडा

- भारत के मानचित्र में निरपेक्ष स्थिति उत्तर-पश्चिम में है ।
- भारत मे किसी भी स्थान की निरपेक्ष स्थिति – नागपुर (महाराष्ट्र) से ज्ञात की जाती है ।
- राजस्थान में किसी भी स्थान की निरपेक्ष स्थिति मेडता (नागौर) से ज्ञात की जाती है ।

सूर्य की किरणों की निरपेक्ष स्थिति

- सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणों वाला जिला – बाँसवाडा (21 जून)
- सर्वाधिक तिरछी किरणों वाला जिला – श्री गंगानगर (22 दिसम्बर)
- रात व दिन की अवधि बराबर – 21 मार्च, 23 सितम्बर
- सर्वप्रथम सूर्योदय व सूर्यास्त – सिलाना (धौलपुर)
- सबसे अन्त में सूर्योदय व सूर्यास्त – कटरा गाँव (राम, जैसलमेर)

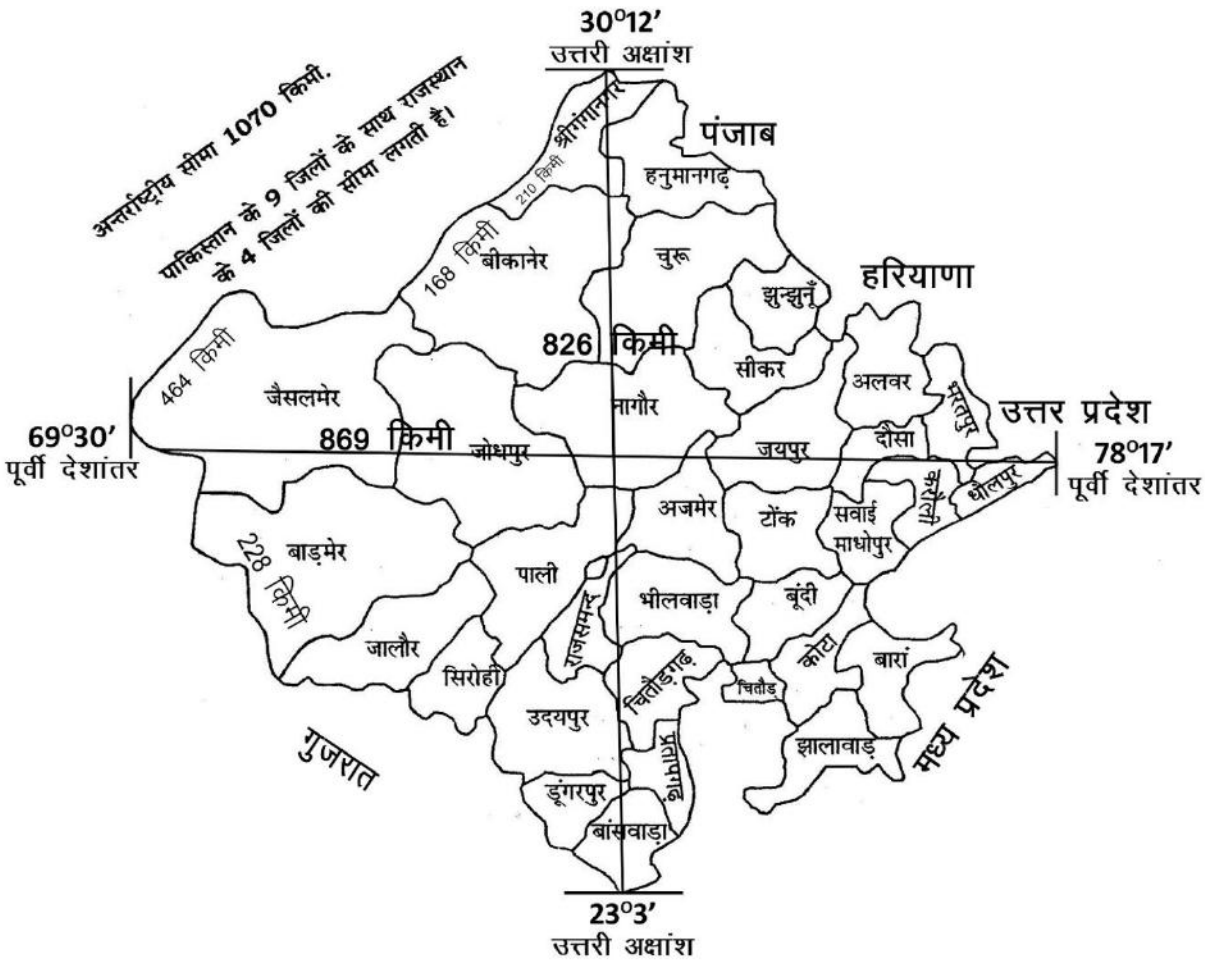

नोट –

(1) राजस्थान के वे जिले जो दो राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं:-

- हनुमानगढ – पंजाब . हरियाणा
- भरतपुर – हरियाणा . U.P.
- धौलपुर – U.P. + M.P.
- बाँसवाडा – M.P. गुजरात

(2) कोटा व चित्तौडगढः- राजस्थान के वे जिले हैं जो एक राज्य (M.P.) से दो बार सीमा बनाते है ।

(3) कोटा :- राजस्थान का वह जिला है जो राज्य के साथ दो बार सीमा बनाता है वह अविखण्डित है ।

(4) चित्तौडगढः- राजस्थान का वह जिला है जो राज्य के साथ दो बार सीमा बनाता है व विखण्डित है ।

(5) भीलवाडाः- चित्तौडगढ को 2 भागो में विखण्डित करता है ।

पाक प्रान्त

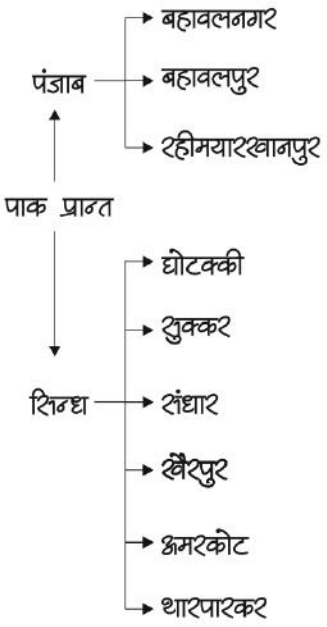

- पंजाब
  - बहावलनगर
  - बहावलपुर
  - रहीमयारखानपुर
- सिन्धु
  - घोटक्की
  - सुक्कर
  - संधार
  - खैरपुर
  - अमरकोट
  - थारपारकर

अन्तर्राज्यीय सीमा पर

सर्वाधिक सीमा
झालावाड (560 किमी.)
(M.P.)

सबसे कम
बाड़मेर (14 किमी.)
(गुजरात)

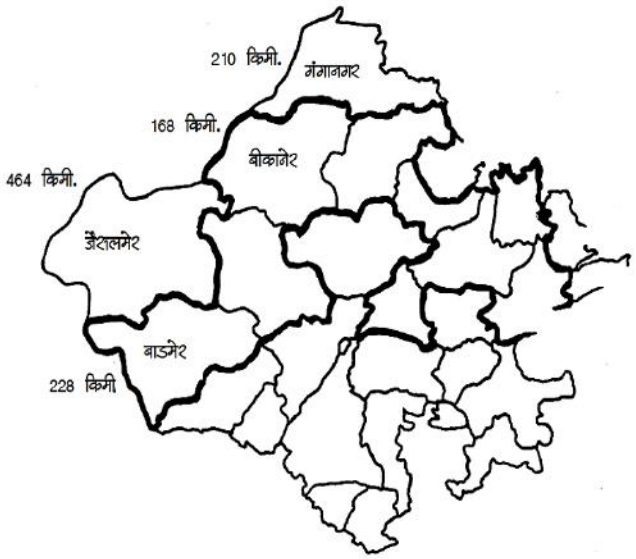

- 25 जिले : राजस्थान के सीमावर्ती जिले
- 23 जिले : अन्तर्राज्यीय सीमावर्ती
- 4 जिले : अन्तर्राष्ट्रीय सीमावर्ती
- 2 जिले : अन्तर्राज्यीय व अन्तर्राष्ट्रीय सीमावर्ती (श्रीगंगानगर . बाड़मेर)
  8 जिले : राजस्थान के वे जिले जो अन्तः स्थलीय (Land locked) सीमा बनाते हैं ।

पाली सर्वाधिक 8 जिलों के साथ सीमा बनाता है । जो निम्न हैं –
बाड़मेर, जोधपुर, जालौर, सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, अजमेर, नागौर ।

अजमेर :- चित्तौड़गढ के बाद राजस्थान का दूसरा विखण्डित जिला
राजसमन्द :- राजसमन्द अजमेर का दो भागों में विखण्डित करता है ।
इसका जिला मुख्यालय इसके नाम से नहीं है ।
राजनगर राजसमन्द का जिला मुख्यालय है ।
नागौर :- नागौर सर्वाधिक संभाग मुख्यालयों के साथ सीमा बनाता है ।
(जयपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर)

सीमावर्ती विवाद

मानगढ हिल्स विवाद
स्थिति = बाँसवाड़ा
विवाद = राजस्थान–गुजरात के मध्य

1. पाकिस्तान का बहावलपुर का सर्वाधिक सीमा गंगानगर के साथ बनाता है ।
2. न्यूनतमक सीमा बाड़मेर के साथ बनाता है ।
3. पाकिस्तान के 9 जिले भारत के साथ सीमा बनाते हैं ।
4. पाकिस्तान के 6 जिले जैसलमेर के साथ सीमा बनाते हैं ।
5. भारत के 4 जिले पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं ।
6. जैसलमेर सर्वाधिक सीमा पाकिस्तान के साथ बनाता है ।
7. बीकानेर सबसे कम सीमा पाकिस्तान के साथ बनाता है ।
8. नाम– सर सिरील रेड रेडक्लिफ रेखा
9. निर्धारण तिथि – 17 अगस्त 1947
10. शुरूआत – हिन्दूमलकोट
11. अंत – शाहगढ (बाड़मेर)
12. राजस्थान की कुल सीमा का 18% (1070 किमी.) है।
13. पाकिस्तान प्रान्त राज्य = 2 (पंजाब व सिन्ध)
14. श्रीगंगानगर अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर सबसे निकटतम जिला मुख्यालय है ।
15. बीकानेर अन्तर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय है ।
16. धौलपुर अन्तर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय है ।
17. बीकानेर सबसे कम सीमा पाकिस्तान के साथ बनाता है ।
18. शुरूआत – हिन्दूमलकोट
19. अंत – शाहगढ(बाड़मेर)

Start — हिन्दुमलकोट (श्रीगंगानगर) 210 किमी.
↓
बीकानेर 168 किमी. (Minium)
↓
जैसलमेर 464 किमी. (Maxium)
↓
End — शाहगढ (बाड़मेर) 228 किमी.

नवीनतम जिले

26 अजमेर (1 नवम्बर, 1956)
27 धौलपुर (15 अप्रैल, 1982)
28 बारां (10 अप्रैल 1991)
29 दौसा (10 अप्रैल 1991)
30 राजसमंद (10 अप्रैल 1991)
31 हनुमानगढ (12 जुलाई 1994)
32 करौली (19 जुलाई 1997)
33 प्रतापगढ (26 जनवरी 2008)

राजस्थान के प्रादेशिक के परिवर्तन का स्वरूप एवं वर्तमान नाम

प्राचीन नाम	बदला स्वरूप	वर्तमान नाम
योद्धेय	जोहयावाटी	गंगानगर
जांगल	भटनेर	बीकानेर
अहिच्छत्रपुर	अहिपुर	नागौर
गुर्जर	गुरजान्ना	मण्डोर-जोधपुर
शाकंभरी शांभर	अजयमेरू	अजमेर
श्रीमाल स्वर्णगिरि	गेलोर भीनमाल	बाडमेर
वल्ल	डुंगल	डूंगलमेर
अर्बुद	चन्द्रावती	सिरोही
विराट	रामगढ	जयपुर
शिवि	चित्तौड	उदयपुर
कांठल	देवलिया	प्रतापगढ
पालन	दशपुर	झालावाड
व्याघ्रवाट	वांगड	बांसवाडा
जाबालीपुर	स्वर्णगिरि	जालौर
कुरू		भरतपुर, करौली
शौरसैन		धौलपुर
हयहय		कोटा, बूंदी
चंद्रावती		आबू, सिरोही
छप्पन मैदान		प्रतापगढ, बांसवाडा के छप्पन ग्राम समूह
मेवल		डूंगरपुर, बांसवाडा के बीच का भाग
ढूंढाड		जयपुर
थली		चुरू, सरदार शहर
हाडौती		कोटा, बूंदी, झालावाड
शैखावटी		चरू, सीकर, झुंझनू

राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति

राजस्थान का एकीकरण

- 18 जुलाई 1947 को "भारतीय स्वतन्त्रता अधिनियम" पारित हुआ "धारा-8" के तहत अंग्रेजो की देशी रियासतों के साथ संधिया समाप्त कर दी गई ।
- (यह प्लान 3 जून को आ गया था लेकिन 18 जुलाई को संसद में पास हुआ)
- "5 जुलाई 1947" को "रियासती विभाग" की स्थापना की गई । जिसके "अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल" व "सचिव वी.पी. मेनन" थे ।
- इस विभाग ने घोषणा कि "10 लाख से अधिक" जनसंख्या तथा "1 करोड आय" वाली रियासतें आजाद रह सकती है ।
- इस समय राजस्थान में ऐसी केवल 4 रियासतें थी ।
  1. मेवाड
  2. मारवाड
  3. जयपुर
  4. बीकानेर
- आजादी के समय राजस्थान में "19 रियासते 3 ठिकाने व 1 केन्द्र शासित प्रदेश" था ।

  3 ठिकाने
  1. लावा (टोंक से अलग)
  2. नीमराणा (अलवर से अलग)
  3. कुशलगढ (बांसवाडा से अलग किया)

  1 केन्द्र शासित प्रदेश - अजमेर - मेरवाडा
- इन सभी को मिलाकर 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण हुआ था ।
- राजस्थान के एकीकरण का सबसे पहले प्रयास "गवर्नर जनरल लिननिथगों" ने किया था ।
- मेवाड महाराणा "भूपाल सिंह" ने राजस्थान, मालवा व सौराष्ट्र की रियासतों को मिलाकर "राजस्थान यूनियन" बनाने का प्रयास किया तथा इसके लिए 25 जून - 26 जून 1946 को "उदयपुर" में सम्मेलन किया ।
- बीकानेर महाराजा सार्दुल सिंह (गंगासिंह का बेटा) ने सबसे पहले 7 अगस्त 1947 संविधान सभा में शामिल होने की घोषणा की थी ।

प्रथम चरण :18 मार्च 1948

मत्स्य संघ : नामकरण "के. एम. मुँशी'
पी.एम. :- "शोभाराम कुमावत"

धौलपुर ↓	करौली ↓	अलवर ↓	भरतपुर ↓	नीमराणा ठिकाना
उदयभानसिंह (राजप्रमुख)	गणेशपाल (उप राजप्रमुख)	राजधानी	उद्घाटन (18 मार्च 1948)	

राजप्रमुख : उदयभानसिंह

- प्रधानमंत्री : शोभाराम कुमावत (अलवर)
- उपप्रधानमंत्री - जुगल किशोर चतुर्वेदी
- मुख्य अतिथि - एन वी गाडगील
- "अलवर" व "भरतपुर" रियासत का नियंत्रण भारत सरकार ने अपने पास पहले ही ले लिया था । (क्योंकि अलवर का राजा गांधीजी की हत्या में दिल्ली में नजरबंद था तथा भरतपुर का राजा छोटा था उस में)

दूसरा चरणः राजस्थान संघ/पूर्व राजस्थान

पी.एम. : गोकुल लाल असावा (25 मार्च 1948)
(9 रियासत और 1 ठिकाना)

1. कोटा - भीमसिंह - राजप्रमुख राजधानी + उद्घाटन 25 मार्च 1948
   एन.वी. गाडविल
2. बून्दी - बहादुर सिंह - वरिष्ट उपराज प्रमुख
3. झालावाड
4. डूंगरपुर - लक्ष्मण सिंह कनिष्ठ उपराजप्रमुख
5. बाँसवाडा
6. प्रतापगढ
7. कुशलगढ (ठिकाना)
8. टोंक
9. किशनगढ
10. शाहपुरा

- "टोंक" राजस्थान की "एकमात्र मुस्लिम रियासत" थी ।
- "किशनगढ" व "शाहपुरा" रियासतों को तोपो की सलामी नहीं दी जाती थी (छोटी होने के कारण)
- शाहपुरा व किशनगढ रियासतों ने अजमेर मेरवाडा से मिलने से मना कर दिया ।
- "बांसवाडा" के महरावल "चन्द्रवीर सिंह" ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुये कहा था कि-
  "मैं अपने डैथ वारन्ट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ ।"

तीसरा चरण : संयुक्त राजस्थान (राजस्थान संघ + मेवाड)

- पी.एम : माणिक्य लाल वर्मा 18 अप्रैल, 1948 (उदयपुर)
- राजप्रमुख : "भूपालसिंह (मेवाड)"
- वरिष्ठ उपराजप्रमुख : भीमसिंह (कोटा)
- कनिष्ठ उपराजप्रमुख : बहादुर सिंह (बून्दी)
  लक्ष्मणसिंह (डूँगरपुर)
- राजधानी : उदयपुर

- उद्घाटन : उदयपुर (जवाहर लाल नेहरू) 18 अप्रैल 1948
- प्रधानमंत्री : माणिक्य लाल वर्मा
- उपप्रधानमंत्री : गोकुल लाल असावा
- विधानसभा का एक अधिवेशन प्रतिवर्ष कोटा में होगा तथा कोटा के विकास के लिए विशेष प्रयास किये जायेंगे ।
- ''भूपाल सिंह'' को 20 लाख प्रीवी पर्स दिया गया
- औपचारिक प्रीवी पर्स 10 लाख :- राजप्रमुख के वेतन के धार्मिक अनुदान के रूप में 5 लाख रूप में 5 लाख प्रीवी पर्सः राजाओं को दी जाने वाली पेंशन (विलय के बाद)

चौथा चरण : वृहत् राजस्थान (30 मार्च, 1949)

प्रधानमंत्री :-हीरालाल शास्त्री (जयपुर)

राम मनोहर लोहिया ने राजस्थान आन्दोलन समिति का गठन किया । तथा मांग की शेष बची रियासतों का जल्द से जल्द राजस्थान में विलय किया जायें ।

- संयुक्त राजस्थान + जयपुर + जोधपुर + बीकानेर + जैसलमेर = वृहत् राजस्थान
- ''30 मार्च 1949'' में ''वल्लभ भाई पटेल'' ने जयपुर में उद्घाटन किया ।
- इसलिए 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है ।

महाराजप्रमुखः	-	''भूपाल सिंह'' (मेवाड)
राजप्रमुखः	-	सवाई मानसिंह द्वितीय (जयपुर)
वरिष्ठ उपराजप्रमुखः	-	हनवन्त सिंह (जोधपुर) भीमसिंह (कोटा)
कनिष्ठ उपराजप्रमुख	-	बहादुर सिंह (बूंदी) लक्ष्मणसिंह (डूँगरपुर)

प्रीवी पर्सः
जयपुर - 18 लाख
जोधपुर - 17.50 लाख

- राजधानी के लिए जयपुर व जोधपुर 2 विकल्प थे अतः इसके समाधान के लिए वल्लभ भाई पटेल ने एक समिति बनाई तथा इस समिति ने जयपुर को राजधानी बनाने की सिफारिश की ।

समिति के सदस्य

- वी.आर.पटेल
- एच.सी.पूरी (लेट कर्नल)
- एच.पी. सिन्ह
- हाइकोर्ट : जोधपुर
- शिक्षा विभाग : बीकानेर
- खनिज विभाग : उदयपुर
- वन और सहकारी विभाग : कोटा
- कृषि विभाग : भरतपुर
- ''लावा'' ठिकाने को ''19 जुलाई 1948'' को जयपुर में शामिल किया गया था ।

पाँचवा चरण : संयुक्त वृहत् राजस्थान

''शंकर राव देव समिति'' की सिफारिशों के आधार पर 15 मई 1949 को ''मत्स्य संघ'' का वृहत् राजस्थान में विलय कर दिया गया ।
प्रधानमंत्री - हीरालाल शास्त्री
राजप्रमुख - सवाई मानसिंह (जयपुर)

समिति के अन्य सदस्य

- आर.के सिद्धवा,
- प्रभुदयाल
- शोभाराम कुमावत को शास्त्री मंत्रीमण्डल में शामिल कर लिया गया ।

छठा चरण (राजस्थान संघ)

- आबू व देलवाडा सहित 89 गाँव गुजरात में मिलाये गए तथा शेष सिरोही राजस्थान में मिला दिया गया इसमें गोकुल भाई भट्ट का गाँव हाथल भी शामिल था ।
- यह विलय - 26 जनवरी 1950 को किया गया तथा हमारे प्रदेश का नाम राजस्थान कर दिया ।
- इस अनुचित विलय पर पटेल का जवाब था ''राजस्थान वालों को गोकुल भाई भट्ट चाहिए था वो हमने दे दिया ।''
- हीरालाल शास्त्री को राजस्थान का प्रथम मनोनित मुख्यमंत्री बनाया गया ।
  मनोनित मुख्यमंत्री - हीरालाल शास्त्री जायनारायण व्यास सी.एस. वेंकटाचारी (आई.सी.एस)

निर्वाचित मुख्यमंत्री

1. टीकाराम पालीवाल प्रथम - बाद में उपमुख्यमंत्री बनें ।
2. जायनारायण व्यास

3. मोहन लाल सुखाडिया – राजस्थान के सबसे युवा सी.एम, राजस्थान के सर्वाधिक समय रहने वाले सी. एम.
4. सबसे कम समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री – हीरालाल देवपुरा (16 दिन बाद में मंत्री बनाया गया)
5. पहले चुनाव (1951–52) में कांग्रेस के बाद सर्वाधिक सीटें समराज्य परिषद को मिली थी ।

सातवाँ चरण : (वर्तमान राजस्थान)

(1 नवम्बर, 1956)

फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया ।
इसमें 3 सदस्य थें ।

- फजल अली
- हृदय नाथ कुंजः
- के.एम. पणिक्कर (बीकानेर से संविधान सभा में भेजे गये थे ।)

इस आयोग की सिफारिशों के आधार पर

1. आबू, देलवाडा का राजस्थान में विलय किया गया ।
2. अजमेर – मेरवाडा का राजस्थान में विलय किया गया ।
3. एम.पी. का सुनेल टप्पा राजस्थान में मिलाया गया ।
4. राजस्थान का सिरोज एम.पी को दिया गया था ।

नोटः

- 1 नवम्बर 1956 में राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ ।
- उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री मोहन लाल सुखाडिया थें ।
- ''अजमेर'' को राजस्थान का 26 वाँ जिला बनाया गया ।
- ''अजमेर – मेरवाडा'' एक केन्द्र शासित प्रदेश था जिसमें 30 सदस्यों की धारा सभा होती थी । यहाँ के मुख्यमंत्री ''हरिभाउ उपाध्याय'' थे ।

नोटः

''हरिभाऊ उपाध्याय'' ने अजमेर का राजस्थान में विलय का विरोध किया था ।

- अजमेर को राजधानी बनाने के लिए विवाद हुआ अतः भारत सरकार ने 3 सदस्यों की एक समिति बनाई । जिसने जयपुर को ही राजधानी बनाने की सिफारिश दी । तथा अजमेर को राजस्व विभाग दिया ।

3 सदस्य समितिः

1. पी. सत्यनारायण राव
2. वी. विश्वनाथन
3. वी. के गुप्ता

नोटः

''आबू देलवाडा'' को राजस्थान में शामिल करने के लिए ''मुनि जिन विजय सूरि'' के नेतृत्व में एक आयोग बनाया गया था । इतिहासकार दशरथ शर्मा भी इसके सदस्य थे ।

- 7 वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा राजप्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया ।
- अतः राजस्थान के पहले राज्यपाल सरदार गुरूमुख निहाल सिंह थे ।
- 26 वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा राजाओं के पीवी पर्स बन्द कर दिये थें ।
- 1 नवम्बर 2000 को एम.पी. से छत्तीसगढ अलग हो जाने के कारण राजस्थान भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य बना ।

मनोनीत मुख्यमंत्री

- प्रथम हीरालाल शास्त्री
- द्वितीय सी.एस. वेंकटाचारी (पहला आई.ए.एस मुख्यमंत्री)
- तृतीय जयनारायण व्यास

निर्वाचित मुख्यमंत्री

- प्रथम टीकाराम पालीवाल
- द्वितीय जयनारायण व्यास
- तृतीय मोहनलाल सुखाडिया (1954–71)

सबसे लम्बा कार्यकाल 17 साल सबसे युवा मुख्यमंत्री हीरालाल देवपुरा (सबसे कम कार्यकाल 16 दिन) 19 जुलाई 1948 को लावा ठिकाने को जयपुर रियासत में मिला दिया गया ।

राजस्थान के लोक संत

भक्ति

सगुण	निर्गुण
मूर्ति पूजा करना	मूर्ति पूजा के विरोधी
आस्तिक कहलाते हैं ।	नास्तिक कहलाते हैं ।
जैसे – रामानुज, वल्लभ, निम्बार्क, नाथ गौडीय मीराबाई	जैसे– जसनाथी, दादू, कबीर पंथी, परनामी

हिन्दू धर्म को तीन भागों में बाँटा गया है ।
1. भागवत/आलवार धर्म – विष्णु को मानने वाले
2. नयनार/आडियार धर्म – भगवान शिव को मानने वाले

शैव धर्म की 12 शाखाएँ है जिनमे से 3 राजस्थान में है ।
1. माननाथी – स्थापना आयस देवनाथ द्वारा
   नाथ सम्प्रदाय का सबसे बडा मंदिर – महामंदिर (जोधपुर)
2. वैराग्य नाथी – स्थापना – भर्तृहरि द्वारा
   प्रधानपीठ – राताडुंगा (पुष्कर, अजमेर)
3. नाथ – यह सबसे नवीन शाखा है ।
   - स्थापना – नाथ मुनि द्वारा
   - शाखा को मत्स्येन्द्र नाथ ने आगे बढाया ।
   - नाथ सम्प्रदाय के मंदिर को आसन कहते है ।
4. शाक्त धर्म – जो देवियों की उपासना करते है ।

यमुनाचारी – वैष्णव धर्म की स्थापना । दक्षिण भारत के प्रमुख संत

शिष्य – रामानुज
↓
रामानन्द

रामानुजाचार्य – जन्म– तिरुपति नगर
- दक्षिण भारत मे मध्यकाल में भक्ति जनक कहा जाता है ।
- विशिष्टाद्वैतवाद का सिद्धान्त दिया ।
- यमुनाचार्य गुरु थे ।

रामानन्द – जन्म 1299 में इलाहाबाद (उ. प्र.)
कर्मभूमि – काशी
गुरु – राघवानन्द
सिद्धान्त – विशिष्टाद्वैत

वल्लभाचार्य – जन्म 1478 में वाराणसी
शुद्धैतवाद मत दिया ।

1. दादूदयाल

- जन्म : 1544 में फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को अहमदाबाद में हुआ । कर्मभूमि राजस्थान में हुई ।
- बचपन का नाम – महाबली
- पिता – लोदीराम
- गुरू – बुद्धन या ब्रह्मनंद
  1568 में दादूदयाल सांभर आ गये ।
  1574 में इन्होने दादूपंथ की स्थापना की । – मुख्य पीठ (केन्द्र) : ''नरैना (जयपुर)''
  ये राजा मानसिंह के समकालीन थे ।
  दादू की ग्रंथ – दादू जी की वाणी
  दादूजी रा दूहा
- प्रधान पीठ नारायणा (सांभर, जयपुर) में है ।
  - यहाँ दादू जी के चरण चिह्न पूजे जाते है ।
  - दादूदयाल ने मैमजीन दुर्ग की नींव रखी ।
  - दादू पंथ सत्यराम से अभिवादन करते है ।

• दादू पंथ के पंचतीर्थ

1. कल्याणपुर – जयपुर
2. नारायणा – जयपुर
3. भराणा – जयपुर
4. सांभर – जयपुर
5. आमेर – जयपुर

- दादूदयालजी को ''राजस्थान का कबीर'' कहा जाता है ।
- इन्होंने निर्गुण भक्ति का सन्देश दिया था ।
- आमेर के राजा भगवन्त दास ने दादूदयाल जी की मुलाकात फतेहपुर सिकरी में अकबर से करवाई ।
- दादूदयालजी ने अपने उपदेश ''ढूँढाडी भाषा '' में दिये थे । जिसे सधुकडी भाषा कहा जाता है ।
- दादूदयालजी के प्रमुख 52 शिष्य थे जिन्हें ''52 स्तम्भ'' कहा जाता है ।
- दादू पंथ की शाखाएँ
  1. खालसा
  2. विरक्त
  3. उतरादे
  4. खाकी
  5. नागा
- दादूपंथ के मंदिरों को ''दादू द्वारा'' कहा जाता है ।
- यहाँ पर दादूदयालजी के ग्रन्थ ''वाणी'' की पूजा की जाती है ।
- सत्संग स्थान को ''अलख दरीबा'' कहते है ।
- दादूपंथी मृत व्यक्ति के शरीर को पशु पक्षियों के खाने के लिए छोड देते है ।

- दादू संप्रदाय में सत्यराम से अभिनंदन किया जाता है ।
- दादूजी का शरीर "भैराणा की पहाडी (जयपुर)" में रखा गया था जिसे "दादू खोल/दादू पालका" कहा जाता है ।
- दादू ने निपंख आन्दोलन चलाया ।
- 1603 में ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी को दादूजी की मृत्यु हो गई ।

दादूजी के प्रमुख शिष्य

1. रज्जब जी :
   - सांगानेर के पठान थें ।
   - निवास स्थान रज्जब द्वार कहलाता है ।
   - इन्होंने दादूजी के उपदेश सुनकर शादी नही की तथा "आजीवन" दूल्हे के वेश में रहें ।
   - रज्जब जी ने संसार को वेद तथा सृष्टि को कुरान कहा ।

रज्जब जी की पुस्तकें

1. रज्जब वाणी
2. सर्वंगी

2. सुन्दरदास जी

- जन्म – दौसा (खंडेलवाल परिवार में)
- पिता – शाह चोखा (परमानंद)
- माता – सती
- इसे दुसरा शंकराचार्य भी कहा जाता है ।
- इन्होंने नागा शाखा की स्थापना की
- नागा साधुओं ने मराठा आक्रमणों के समय जयपुर के राजा प्रतापसिंह की मदद की ।
- नागा साधु अपने साथ हथियार रखते थें । इनके रहने के स्थान को छावनी कहा जाता था ।
- "गेटोलाव" (दौसा) में सुन्दरदास जी की समाधि बनी हुई है ।
- निम्न ग्रंथों की रचना की –
- सुंदर सागर, सुंदर विलास, बावली, रामजी अष्टक, ज्ञान समुद्र
- इन्हें सुंदरदास फतेहपुरिया भी कहा जाता है ।

3. जाम्भोजी

- 1451 में पीपासर (नागौर) में एक पंवार राजपूत परिवार में जन्म हुआ था ।
- पिता – लोहट जी
- माता – हंसा बाई
- इन्हें "विष्णु का अवतार" माना जाता है । (कृष्ण का अवतार)
- बचपन का नाम : धनराज था ।
- विश्नोई समाज के उपदेश स्थल को साथरी कहते है ।
- 1526 ई. को तालवा गाँव (मुकाम नोखा, बीकानेर) में जाम्भोजी का निधन हुआ जहाँ इस सम्प्रदाय की प्रधान पीठ है ।
- इनका मेला फाल्गुन व आश्विन अमावस्या को भरता है ।
- 1482 में "समराथल (बीकानेर)" नामक स्थान पर इन्होंने अपने अनुयायीयों को "29 उपदेश" दिये थे इसलिए इनके अनुयायी "बिश्नोई (बिस+नौ)" कहलाते है ।
- सबसे पहला अनुयायी इनके चाचा पुलोजी थे ।
- "मुकाम (बीकानेर)" में जाम्भोजी का मन्दिर बना हुआ है । जहाँ पर "आश्विन तथा फाल्गुन अमावस्या" को मेला लगता है ।
- ये सिकन्दर लोधी के समकालीन थे ।
- इसने जाम्भोजी के कहने पर गो हत्या बंद कर दी थी ।
- बीकानेर क्षेत्र में अकाल के समय जाम्भोजी के कहने पर सिकन्दर लोधी ने चारा भेजा था ।

जाम्भोजी की प्रमुख शिक्षाऐं

1. हरे पेड नहीं काटने चाहिए ।
   सिर साटे रूख रहे, तो भी सस्तों जावा ॥
   मुख्यः खेजडी
2. जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए ।
3. नीले कपडे नहीं पहनने चाहिए ।
4. विधवा विवाह किये जाने चाहिए ।

जाम्भोजी को "पर्यावरण वैज्ञानिक संत" कहा जाता है ।
जाम्भोजी के उपदेश – जम्भ संहिता, जम्भ वाणी, जम्भ सरिता, जम्भ सागर, बिश्नोई धर्म प्रकाश में संकलित है ।
जाम्भोजी के मंदिर मे किसी प्रकार की मूर्ति नही होती ।
वर्ष में 3 बार आश्विन शुक्ल सप्तमी, माघ शुक्ल सप्तमी, चैत्र शुक्ल को मेले लगते है ।

विश्नोई सम्प्रदाय के आराध्य स्थल

मुकाम (बीकानेर) – जाम्भोजी का समाधि स्थल

रोटू (नागौर) – विश्नोईयों का धार्मिक स्थल

पीपासर (नागौर) – जाम्भोजी का जन्म स्थान खडाऊ को पीपा कहते है ।

डाँगलू (बीकानेर) – चैत्र व भाद्रपद अमावस्या को मेला लगता है ।

जाम्भा (जोधपुर) – विश्नोईयों का पुष्कर जहाँ चैत्र व भाद्रपद अमावस्या को मेला भरता है ।

4. जसनाथ जी

- जन्म स्थान –1482 कार्तिक शुक्ल एकादशी कतरियासर (बीकानेर) जाट परिवार
- पिता का नाम – हमीर जाणी
- माता का नाम – रूपा दे
- बचपन का नाम – जसवंत
- गुरू – गोरखनाथ
- मुख्य मंदिर – कतरियासर
- अन्य पीठ
  - पांचला – नागौर
  - पूरनासर – बीकानेर
  - बम्मल – बीकानेर
  - मालासर – बीकानेर
  - लिखमादेसर – बीकानेर
- आश्विन शुक्ल सप्तमी को मेला लगता है।
- सिद्ध – ये पुजारी होते है।
- जसनाथी जाट – ये गृहस्थ होते हैं।
- गोरखमाल्या नामक जगह पर 12 वर्षो तक कठोर तपस्या की।
- सिकन्दर लोदी के समकालिन थे।
- अपने अनुयायीयों को 36 उपदेश दिये थे।
- भगवा वस्त्र धारण करते है।
- इनके अनुयायी गले में काली ऊन के धागे पहनते हैं।
- "मोर पंख" तथा "जाल वृक्ष" को पवित्र मानते हैं।
- इनके अनुयायीयों द्वारा अग्नि नृत्य करवाया जाता है।
- जसनाथी की संप्रदाय की समाधियाँ बाडी कहलाती है।
- सिद्ध रामनाथ द्वारा लिखा यशो पुराण जसनाथियों का बाईबिल है।
- अनुयायी जो इस संसार से विरक्त हो जाते है 'परमहंस कहलाते है।

ग्रन्थ :

1. सिंभुदडा (इनके उपदेश)
2. कोडा

5. चरणदास जी

- जन्म स्थान – डेहरा (अलवर)
- मुख्य केन्द्र – दिल्ली
- बचपन का नाम – रणजीत
- गुरू का नाम – सुकदेव
- अपने अनुयायीयों को "42 उपदेश" दिये।
- इनके अनुयायी "पीले रंग के कपडे" पहनते थे।
- इन्होने नादिर शाह (1739 ईरान का राजा – भारत पर आक्रमण) के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी।

प्रमुख शिष्याः

दया बाई ⟶ पुस्तकें :- दया बोध, विनय मलिका

सहजोबाई ⟶ पुस्तक :-सहज प्रकाश, सात वार, निर्णय

- इस सम्प्रदाय के लोग "सखी भाव" से श्री कृष्ण भगवान की पूजा करते है।
- "सगुण" (भक्ति पूजा वाले) तथा "निर्गुण" दोनों की शिक्षा दी थी।
- उपदेश "मेवाती भाषा" में दिये थें।

चरणदास जी के निम्न ग्रंथ है –
ब्रह्म सागर, ब्रह्म ज्ञान सागर, भक्ति चरित्र, ज्ञान स्वरोदय

6. संत पीपा

- जन्म – 1425 ई.
- वास्तविक नाम – प्रताप सिंह खिंची
- "गागरोण (झालावाड)" के राजा थे।
- रामानन्द जी के शिष्य थे। (12 शिष्य थें।) (भक्ति आंदोलन – 7वी – 8वी सदी)
- पीपा का मुख्य मंदिर जहाँ चैत्र पूर्णिमा को मेला भरता है।
- एक अन्य मंदिर जोधपुर में है।
- मंदिर मे इनके चरण चिह्नों की पूजा होती है।
- पीपा के उपदेश जोग चिन्तामणि में संग्रहित है।
- संत पीपा "दर्जी समाज के प्रमुख देवता" हैं।
- इन्होंने निर्गुण भक्ति का संदेश दिया था।
- "समदडी (बाडमेर)" में पीपा का 'मुख्य मंदिर' तथा "गागरोण" में 'छतरी' बनी हुई है।
- मेला – चैत्र शुक्ल पूर्णिमा
- "टोडा (टोंक)" में संत पीपा की 'गुफा' बनी हुई है।
- झालावाड में चरण चिह्न की पूजा होती है।

7. संत धन्ना

- जन्म : धुवन (टोंक) (जाट परिवार में)
- यह भी रामानन्द जी के शिष्य थे।
- राजस्थान में भक्ति आन्दोलन शुरू किया था।
- "बोरानाडा (जोधपुर)" में इनका मंदिर बना हुआ है।

8. संत हरिदास जी

- जन्म 1455 ई.
- वास्तविक नाम – हरिसिंह सांखला
- पहले डाकू थे परन्तु बाद में संत बन गये
- इन्होंने हरिदासी या "निरजंनी सम्प्रदाय" चलाया था

- इन्होनें ''निर्गुण व सगुण'' दोनों प्रकार की भक्ति का संदेश दिया था ।
- मुख्य केन्द्र – ''गाढा (डीडवाना)''

पुस्तके :
1. मन्त्र राज प्रकाश
2. हरि पुरूष जी की वाणी
   - इनको कलियुग का वाल्मिकी के नाम से जाना जाता है ।

9. संत मावजी

- जन्म स्थान – साबला (डूँगरपुर)
- इन्होने भगवान श्री कृष्ण की पूजा ''निष्कलंक अवतार'' के रूप में की थी ।
- इन्होने निष्कलंकी सम्प्रदाय चलाया था ।
- इन्होने कृष्णा लीला की रचना ''वागडी भाषा'' में की थी ।
- संत मावजी ने बेणेश्वर धाम (डूँगरपुर) की स्थापना की थी ।
- यहां माघ पूर्णिमा को मेला भरता है । इसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है ।
- इन्होने लसोडियां आन्दोलन चलाया था ।
- संत मावजी की वाणी जिसमें संग्रहीत है उसे 'चौपडा' कहते है ।

प्रमुख ग्रंथ
1. चोपडा (इस ग्रन्थ में तीसरे विश्वयुद्ध की भविष्यवाणी है ।)

10. बालनन्दाचार्य

- बचपन का नाम – बलवंत शर्मा
- मुख्य पीठ – लोहार्गल (झुंझुनु)
- यह अपने पास सेना रखते थे इसलिए इन्हे ''लश्कर संत'' कहा जाता है ।
- यह औरंगजेब के समकालीन थे ।
- इन्होंने 52 मूर्तियों को औरंगजेब से बचाकर उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया था ।
- इन्होंने औरंगजेब के खिलाफ मेवाड के राजसिंह तथा मारवाड के दुर्गादास राठौड की सहायता की थी ।

11. नरहड पीर

- वास्तविक नाम : हजरत शक्कर बाबा
- मुख्य केन्द्र : ''नरहड (झुंझुनु)''
- ''कृष्ण जन्माष्टमी'' को इनका उर्स लगता है । यहाँ पर पागलों का इलाज किया जाता है ।
- यह साम्प्रदायिक सौहार्द तथा हिन्दु-मुस्लिम एकता का स्थान है ।
- इन्हे ''बागंड का धणी'' कहा जाता है ।
- ''सलीम चिश्ती'' इनका शिष्य था ।
- शक्कर पीर बाबा/नरहड शरीफ दरगाह के नाम से भी जाना जाता है ।

12. मीराबाई

- जन्म स्थान – ''कुडकी (पाली)'' 1498 ई.
- पिता : रतन सिंह
- बचपन का नाम – पैमल
- मीरा बाई का पालन पोषण अपने दादा ''दूदा'' के पास मेडता में हुआ ।
- मीरा बाई के पति : ''भोजराज'' (सांगा पुत्र, मेवाड)
- मीरा बाई श्री कृष्ण को अपना पति मानकर ''सगुण रूप'' में पूजा करती थी ।
- मीराबाई के गुरू – ''रैदास''
- रैदास जी की छतरी चित्तौड के किले में बनी हुई है ।
- मीराबाई द्वारिका के ''रणछोड मंदिर'' के भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में विलीन/समा गयी थी ।
- महात्मा गांधी, मीराबाई को अन्याय के विरूद्ध संघर्ष करने वाली ''सत्याग्रही महिला'' मानते थें ।
- मीराबाई को ''राजस्थान की राधा'' कहा जाता है ।
- मीरा के प्रारंभिक गुरु चंपाजी थे ।
- गंजाधर गुर्जर गौड मीरा के धार्मिक गुरू थे ।
- मीरा ने वृन्दावन में दासी सम्प्रदाय चलाया जिससे पुरुष भी स्त्रियों की वेशभूषा पहनते है ।

- मीरा के मंदिर
  1. चारभुजानाथ मंदिर (मेडता, नागौर)
  2. कुम्भश्याम मंदिर (चित्तौडगढ)
  3. जगत शिरोमणी मंदिर (जयपुर)

मीराबाई की पुस्तकें :
1. रूकमणी मंगल
2. सत्यभामा नू रूसणो
3. गीत गोविन्द
4. नरसी जी री मायरो (यह पुस्तक रतना खाती के सहयोग से लिखी गई)
5. मीरा की गरीबी
6. टीका राग गोविंद

राजनीति विज्ञान

मूल अधिकार (Fundamental Rights)

- "भारतीय संविधान में मौलिक/मूल अधिकार"
- भारतीय संविधान के भाग 3 में अनु. 12–35 तक मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है।
- भारतीय संविधान में मूल अधिकार अमेरिका से लिए गए है।
- मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान का मेग्नाकार्टा और अधिकार पत्र कहा जाता है।
- इसकी प्रकृति नकारात्मक है।
- मूल अधिकार न्याय और वाद के योग्य होते है।
- मूल संविधान में भारतीय नागरिकों को सात मूल अधिकार प्रदान किये थे।
- परन्तु 44 वें संविधान संशोधन 1978–79 के द्वारा संपति के अधिकार को मूल अधिकारो से हटा दिया और उसे संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 (क) स्थान दिया गया है।
- अब संपति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है।
- वर्तमान में भारतीय नागरिकों के पास 6 मूल/मौलिक अधिकार है।

नोट – सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सर्वप्रथम 1931 के कराची अधिवेशन में अपने घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की माँग की थी मूल अधिकारों का प्रारूप पं. जवाहरलाल ने बनाया था।

साधारण (General)

अनुच्छेद 12 : परिभाषा
अनुच्छेद 13 : मूल अधिकारों के असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ

1. समता का अधिकार (Right to Equality)

अनुच्छेद 14 : विधि के समक्ष समता
अनुच्छेद 15 : धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध
अनुच्छेद 16 : लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता
अनुच्छेद 17 : अस्पृश्यता का अंत
अनुक्षछेद 18 : उपाधियों का अंत

2. स्वातंत्रय – अधिकार (Right to Freedom)

अनुच्छेद 19 : वाक्–स्वातंत्रय आदि विषयक कुछ अधिकारो का संरक्षण इसमें भारतीय नागरिकों को सात स्वतंत्रताएँ, प्रदान की गई थी। लेकिन 44 वें संविधान संशोधन में संपत्ति की स्वतंत्रता को हटा दिया गया (19 F) अब 6 स्वतंत्रताएँ है।
अनुच्छेद 19 – a : विचार अभिव्यक्ति, प्रेस की स्वतंत्रता
अनुच्छेद 19 – b : संघ बनाने की स्वतंत्रता
अनुच्छेद 19 – c : सम्मेलन बुलाने की स्वतंत्रता
अनुच्छेद 19 – d : निवास स्थान बनाने की स्वतंत्रता (जम्मू कश्मीर को छोडकर)
अनुच्छेद 19 – e : भ्रमण करने की स्वतंत्रता (केवल भारत)
अनुच्छेद 19 – g : व्यापार वृत्ति कारोबार की स्वतंत्रताएँ
अनुच्छेद 20 : अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण
अनुच्छेद 21 : प्राण और दैहहिक स्वतंत्रता का संरक्षरण
अनुच्छेद 22 : कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण

3. शोषण के विरूद्ध अधिकार (Right Against Exploitation)

अनुच्छेद 23 : मानव के दुर्व्यापार और बलात श्रम का प्रतिषेध

अनुच्छेद 24 : कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध

4. धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (Right to Freedom of Religion)

अनुच्छेद 25 : अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता

अनुच्छेद 26 : धार्मिक कार्यो के प्रबंध की स्वतंत्रता

अनुच्छेद 27 : किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता

अनुच्छेद 28 : कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता

5. संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार (Cultural and Educational Rights)

अनुच्छेद 29 : अल्पसंख्यक– वर्गों के हितों का संरक्षण

अनुच्छेद 30 : शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार

अनुच्छेद 31 : निरसित

कुछ विधियों की व्यावृत्ति (Saving of Certain Laws)

अनुच्छेद 31– क : संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों का व्यावृत्ति।

अनुच्छेद 31–ख : कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधिमान्यकरण

अनुच्छेद 31 – ग : कुछ निदेशक तत्वों को प्रभावी करने वाली विधियों की व्यावृत्ति ।

अनुच्छेद 31 – घ : निरसित।

6. संविधानिक उपचारों का अधिकार (Right to Constitutional Remedies)

अनुच्छेद 32 : इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार।

अनुच्छेद क : निरसित

अनुच्छेद 33 : इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू होने में उपांतरण करने की संसद की शक्ति।

अनुच्छेद 34 : जब किसी क्षेत्र मे सेना विधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निर्बन्धन

अनुच्छेद 35 : इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान।

नोट –

- अनुच्छेद 20, 21 को छोडकर राष्ट्रपति शासन (356 आपात)के समय सभी अधिकार निलंबित हो जाएंगे।
- राष्ट्रपति आपात में (356) सर्वप्रथम अनुच्छेद 19 निलंबित होगा।
- 86 वें संविधान 2002 द्वारा भारतीय नागरिकों को एक और नया अधिकार मिला "निःशुल्क अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा का अधिकार" जिसके द्वारा 6–14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा का अधिकार प्राप्त होगा इस अधिकार को अनु. 21 (क) में जोडा गया है और इसे 1 अप्रैल 2010 को जम्मू कश्मीर को छोडकर संपूर्ण भारत में लागू किया गया।
- मूल अधिकारों (भाग 3) को प्रशासकों की "आचरण संहिता" माना जाता है।

भाग 4

राज्य के नीति निदेशक तत्व (Directive Principles of State Policy)

- संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 (कुल 16) में राज्य के नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख किया गया है।
- यह तेग बहादुर स्प्रू समिति के द्वारा मूल संविधान में जोडे गये।
- नीति निदेशक तत्व आयरलैंड से लिए गए।
- ये राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है।
- इसकी प्रकृति सकारात्मक है।
- नीति निदेशक तत्व वाद या न्याय के योग्य नहीं है।
- नीति निदेशक तत्वों को कानूनी शक्ति प्राप्त नहीं है।
- ये आर्थिक व सामाजिक लोकतंत्र से संबंधित है।
- इनके द्वारा राज्य को सामाजिक, आर्थिक, न्याय, शिक्षा, लोकतंत्र, गांधीवादी विचार और अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र से संबंधित निर्देश दिये गए है, जिनसे एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जा सके।
- इनके निम्न प्रमुख निर्देश अनुच्छेदों में दिये गए है–
  - **अनुच्छेद 36** : परिभाषा
  - **अनुच्छेद 37** : इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना
  - **अनुच्छेद 38** : राज्य के लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा।
  - **अनुच्छेद 39(क):** समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता
  - **अनुच्छेद 40** : ग्राम पंचायतों का संगठन
  - **अनुच्छेद 41** : कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार
  - **अनुच्छेद 42** : काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध
  - **अनुच्छेद 43(क)**: उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना
  - **अनुच्छेद 44** : नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता
  - **अनुच्छेद 45** : बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध
  - **अनुच्छेद 46** : अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गो के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि।
  - **अनुच्छेद 47** : पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊँचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य।
  - **अनुच्छेद 48** : कृषि और पशु पालन का संगठन
  - **अनुच्छेद 48क** : पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा
  - **अनुच्छेद 49** : राष्ट्रीय महत्व के स्मारको, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण
  - **अनुच्छेद 50** : कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण
  - **अनुच्छेद 51** : अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि

  नोट – 42वें, 44वें, 86वें, 97वे संविधान द्वारा संसोधन द्वारा राज्य के नीति निदेशक तत्वों में बदलाव किया गया। (चार बदलाव)

भाग 4 – क

मूल कर्त्तव्य (Fundamentals Duties)

नोट – मूल संविधान में एक भी मूल कर्त्तव्य नहीं था।

- 42 वें संविधान द्वारा 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 10 मूल कर्त्तव्य जोडे गए।
- मूल कर्त्तव्य संविधान के "भाग – 4 क" और "अनुच्छेद 51क" में जोडा गया ।
- मूल कर्त्तव्य सोवियत संघ (रूस) से ग्रहण किये गए है।
- ये नागरिकों के लिए बाध्यकारी नहीं है क्योंकि उन्हें राजनैतिक सामाजिक नैतिक अनुशक्ति तो प्राप्त है

नोट – मूल कर्त्तव्यों को "कानूनी" अनुशक्ति प्राप्त नहीं है । (RAS- 2013)

- इनकी प्रकृति सकारात्मक है।
- मूल कर्तव्या केवल नागरिकों से संबंधित है।

नोट

86 वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक और मूल कर्त्तव्य जोडा गया जिसमें कहा गया कि 6–14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को उनके माता–पिता या संरक्षक शिक्षा के लिए विद्यालय भेजेंगे यह उनका कर्त्तव्य होगा। वर्तमान में कुल ग्यारह मूल कर्तव्य है।

मूल कर्त्तव्य (अनुच्छेद–51क)

- मूल कर्त्तव्यों का उल्लेख मूल संविधान में नहीं था लेकिन **42 वें** संविधान संशोधन 1976 द्वारा (सरदार स्वर्ण सिंह समिति, 1973 की सिफारिश पर) संविधान के **भाग 4 (क)** तथा **अनुच्छेद–51(क)** के अंतर्गत कुल **10 मूल कर्त्तव्य** जोडे गए।
- ये **सोवियत संघ** (रूस) के संविधान से लिए गए है।
- मूल कर्त्तव्य न्याय योग्य नहीं है अर्थात् इनका उल्लंघन होने पर न्यायालय द्वारा दण्ड का प्रावधान नहीं है।
- अनुच्छेद – 51 (क) के अनुसार, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्त्तव्य होगा कि वह –
  1. संविधान का पालन तथा उनके आदर्शो, संस्थाओं और राष्ट्रीय प्रतीको का सामान करें–
  2. राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रत्येक आदर्शो का पालन करें–
  3. भारत की संप्रभुता, एकता और अखण्डता की रक्षा करें–
  4. देश की रक्षा एवं राष्ट्र सेवा करें–
  5. भारत के लोगों में समरसता और भ्रातृत्व की भावना का विकास करें–
  6. समन्वित संस्कृति की गौरवशाली परम्परा की रक्षा करें–
  7. प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सभी प्राणियों के प्रति दया भाव रखें–
  8. वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन का विकास करें–
  9. सार्वजनिक सम्पत्ति की सुरक्षा व हिंसा से दूर रहें–
  10. व्यक्तिगत तथा सामूहिक उत्कर्ष का प्रयास करें–
      - 86 वें संवैधानिक संशोधन (2002) के आधार पर अनुच्छेद–51(क) को संशोधित करते हुए 11 वां मूल कर्तव्य जोडा गया है।
  11. माता–पिता या संरक्षक का यह कर्त्तव्य होगा कि 6 से 14 वर्ष की उम्र के अपने बच्चों को शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करें–
      - वर्तमान में 11 मूल कर्त्तव्य है।